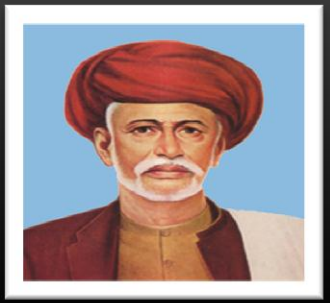




रयत शिक्षण संस्था संचलित

महात्मा फुले महाविद्यालय,पिंपरी,पुणे -17

हिंदी विभाग (2019-20)

टी.वाय.बी.ए.(G-3)

(सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय,पुणे)

पाठ्यपुस्तकेतर पाठ्यक्रम : सरकारी पत्रलेखन

-प्रस्तुति-

डॉ.कामायनी गजानन सुर्वे

सहयोगी प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, हिंदी विभाग

परिपत्र

- परिपत्र को अंग्रेजी में Circular कहा जाता है।
- इसमें पत्र की विषय-वस्तु और भाषा एक–सी होती है ।
- यह अधिकतर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कनिष्ठ अधिकारियों के लिए तैयार किया जाता है।
- इसका प्रेषक एक होता है,प्रेषिती अनेक होते हैं,अर्थात एक साथ विविध अधिकारियों को संदेश दिया जाता है ।
- परिपत्र के अंत में भवदीय ,आपका आदि स्वनिर्देश सूचक शब्द नहीं होते।

परिपत्र:उदाहरण

संख्या -810/3/2020
मध्य प्रदेश सरकार
गृह मंत्रालय

भोपाळ
दिनांक :मार्च 14,2020

परिपत्र

आए दिन अनुसूचित जाति/जनजाति/आदिवासी लोगों पर होने वाले हमले और उन पर होने वाले अत्याचारों को मद्देनजर रखते हुए सभी जिलाधीशों को यह सूचित करना जरूरी समझा जाता है कि मार्च 2019 से मार्च 2020 तक हुई इस प्रकार की वारदातों का विस्तृत लेखा-जोखामय प्रमाण इस मंत्रालय को 31 मार्च 2020 तक अवश्य भिजवा दें।इस परिपत्र को अत्यंत महत्त्वपूर्ण माना जाए।

हस्ताक्षर ----------
संयुक्त सचिव
मध्य प्रदेश सरकार

कार्यालय आदेश

- कार्यालय आदेश को अंग्रेजी में Office Order कहा जाता है।
- विभाग या कार्यालय अपने अधीनस्थ अधिकारियों तथा कर्मचारियों को आदेश निकालता है,तब उसे कार्यालय आदेश कहा जाता है।
- इसकी विषय-वस्तु उस विभाग या कार्यालय के आतंरिक प्रशासन से संबद्ध होती है,जैसे– स्थानांतरण,अवकाश,वेतन-वृद्धि,नवीन वेतनमान,नियुक्ति,पदोन्नति,अनुशासन।
- इसमें प्रेषक,प्रेषिती,संबोधन स्वनिर्देश नहीं होते।

कार्यालय आदेश:उदाहरण

पत्र क्र.11025/ख /रा /20
स्वास्थ्य मंत्रालय
राजस्थान सरकार
जयपुर
दिनांक : 14मार्च,2020

कार्यालय आदेश

निम्नलिखित चिकित्सकों को उनकी दस वर्ष की सेवा के बाद उच्च वेतनमान 30000-2000-35000 1 अप्रैल 2020 से प्रदान किया जाता है –

1.डॉ.चंद्रकांत सुरेश मिश्र ,एम.एस.,जयपुर

2.डॉ.विवेक सुनील गहलोत ,दंत चिकित्सक,जोधपुर

3.डॉ.नीलिमा सुधाकर गुप्ते ,महिला रोग विशेषज्ञ, बीकानेर

डॉ.एम.के.शर्मा
सचिव
स्वास्थ्य मंत्रालय

प्रतिलिपि –
1.सी.एम.ओ.,जयपुर,जोधपुर,बीकानेर
2.संबंधित डॉक्टर्स
3.ट्रेजरी अधिकारी,जयपुर,जोधपुर,बीकानेर

अधिसूचना

- अधिसूचना को अंग्रेजी में Notification कहा जाता है।
- सरकार द्वारा दी गई वे सूचनाएँ,जिनका प्रसारण जनता,सरकारी कार्यालयों आदि के लिए किया जाता है,अधिसूचना कहलाती हैं ।इन्हें भारतीय गजट (राजपत्र)में भी प्रकाशित किया जाता है।
- सरकार के अतिरिक्त कोई संस्थान,कंपनी आदि द्वारा अधिसूचना नहीं निकाली जा सकती ।
- सामान्य सांविधिक नियम–उपनियम ,राजपत्रित अधिकारियों के स्थानांतरण,पदोन्नतियाँ,नियुक्तियाँ,सेवा निवृत्ति ,संसद द्वारा स्वीकृत हुए मसौदे,अध्यादेश,अधिनियम,भारतीय रिजर्व बैंक के साप्ताहिक विवरण आदि को सूचित करने हेतु अधिसूचना जारी की जाती है ।

अधिसूचना:उदाहरण

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली
दिनांक :मार्च 14,2020

संख्या 76/92/20 श्री. अमर श्रीवास्तव ,जिनका वरिष्ठता क्रमांक 615 था ,अब 407 हो गया है ।संबंधित अधिकारी तीन माह तक इस संबंध में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं,अन्यथा यह अधिसूचना अंतिम मानी जाएगी ।

हस्ताक्षर ----------
अवर सचिव
भारत सरकार


धन्यवाद!
